निर्णय बाजलाम श्री हिमांशु शर्मा आर. ए. एस
उप खण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा उद्घोषित

प्रकरण सं. - 130/21 टाका
दायरा दिनांक :- 22.9.2021
निर्णय दिनांक :- 20.7.22

उनवान

1. लेखराज पुत्र श्री भैरूलाल
2. मुकेश उर्फ कृष्णमुरारी पुत्र श्री भैरूलाल
3. अखिल पुत्र भैरूलाल
4. रोहित पुत्र श्री छोटूलाल
5. जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र छोटूलाल जाति माली निवासी ग्राम चैनपुरिया तह. बारां

बनाम

1- छोटूलाल पुत्र श्री छीतरलाल जाति माली निवासी चैनपुरिया तह. बारां
2. प्रेमबाई पत्नी श्री बलराम पुत्री श्री छीतरलाल जाति माली नि. चैनपुरिया
हाल मुकाम सोभागपुरा तह. किशनगंज जिला बारां
3. द्रोपती बाई पत्नि श्री मुरारीलाल पुत्र श्री छीतरलाल जाति माली निवासी
चैनपुरिया तह. बारां जिला बारां
4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

वाद पत्र धारा 88, 89, 91, 53 RTA
निर्णय दिनांक :- 20.7.22

उपस्थित अभिभाषक :- 1 श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी - वादी
2. श्री दिनेश शर्मा - प्रतिवादी

अभिभाषक वादी गण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53 RTA विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्याया. में इस आशय का पेश किया गया कि वादी गण के [illegible] पुत्र गोपीलाल के खाते में दर्ज ग्राम वाके माल मौजा चैनपुरिया तह. बारां के खाता सं. 59 की आराजी ख. नं. 331 रकबा 4.84 [illegible] है. कुल किता 2 रकबा [illegible] ख.नं. 140 रकबा [illegible] है. यानि 5.08 है. व खाता सं. 58 की आराजी [illegible] लगातार - 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:38:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

राजस्व रिकार्ड में दर्ज है छीतरलाल का देहान्त दिनांक 8.12.08 को हो चुका है प्रार्थीगण क्र. 1 ता 3 उनके पुत्र पुत्रियां है तथा एक पुत्र भैरूलाल छीतरलाल के देहान्त से पूर्व ही फौत हो चुका है। तथा वादी क्र. 1 ता 3 उनके कायम मुकामान एवं वारिसान है श्री छीतरलाल के परिवार का शजरा अनुसार भार वारिसान है। छीतरलाल ने अपने जीवन काल में अपने खाते में दर्ज भूमि जिसका विवरण वाद पत्र की मद नं. 1 में अंकित किया गया है यह भूमि श्री छीतरलाल की स्व अर्जित भूमि थी तथा उन्होंने अपने जीवन काल में उक्त भूमि को अपने पोतों में रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा बटवारा कर दिया था बटवारा निम्न प्रकार किया है ख. नं. 331 रकबा 4.84 हे. में से 4.27 हे. भूमि की आराजी भैरूलाल के पुत्र लेखराज, मुकेश व अखिलेश को दी थी तथा छोटूलाल प्रार्थी वादी क्र. 1 के पुत्र रोहित, जितेन्द्र उर्फ जीतू के नाम ख.नं. 331 का शेष रकबा 0.57 हे. ख.नं. 140 का रकबा 3.47 हे. व ख.नं. 443 रकबा 0.24 हे. वादी क्र. 4 व 5 को दिया था। उक्त वसीयत दिनांक 18.08.2008 को सब रजिस्ट्रार बारां के यहां पंजीयन कराकर वसीयत उत्तराधिकारी घोषित किया था तथा उनकी मृत्यु उपरान्त वादीगण उक्त वसीयत में किये गये बटवारे के अनुसार काबिज रहकर निरन्तर रूप से काश्त करते चले आ रहे है।

छीतरलाल के देहान्त के पश्चात आज दिनांक तक उक्त भूमि वादी गण के नाम उक्त वसीयत के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है तथा वसीयती उत्तराधिकारी होने के कारण वादी गण वसीयती बटवारे के अनुसार अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाकर पृथक खाता दर्ज कराने के वैधानिक अधिकारी है। वादी गण के द्वारा करवाये गये वसीयती बटवारे से छीतरलाल के अन्य वारिसान प्रार्थी वादी गण 1 ता 3 को कोई एतराज भी नहीं है तथा वसीयत के आधार पर वादीगण उक्त वर्णित भूमि को वसीयती बटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने के वैधानिक अधिकारी है। वादी क्र. 2 ता 5 वसीयत के समय नाबालिग थे और वसीयत के समय जितेन्द्र उर्फ जीतू की आयु 7 वर्ष, मुकेश की आयु 16 वर्ष, अखिलेश की आयु 8 वर्ष व रोहित की 10 वर्ष थी। इस कारण से उक्त वसीयत की पालना करवाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं कर सके थे, अब चूंकि सभी बालिग हो चुके है तथा सम्पत्ति के सम्बंध में अपने अधिकारों को [illegible] इसलिए वादी गण को खातेदार कृषक घोषित कर [illegible] घोषणा एवं पृथक खाता [illegible] आवश्यक हो गया है। वाद कारण करवाने हेतु उक्त वाद [illegible] तथा वादी गण के बालिग होने श्री छीतरलाल की मृत्यु होने के उपरान्त

लगातार – 3

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:38:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

के उपरान्त तथा वादीगण के बालिग होने के उपरान्त तहसीलदार बारां को उक्त वसीयत के आधार पर उनका नाम दर्ज करने का आवेदन नोटिस 80 CPC दिनांक 20.9.2021 को पेश करने के उपरान्त रजिस्टर्ड नोटिस दिये जाने के उपरान्त नाम दर्ज न करने के कारण वादकारण बारां में पैदा हुआ जो वर्तमान में भी हो रहा है। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजि. कर प्रार्थी वादी गण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थी वादी गण की ओर से श्री दिनेश शर्मा एड. का वकालतनामा पेश हुआ। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम चेनपुरिया सम्वत 2071-74 खाता नं. 52, नकल जमाबन्दी ग्राम चेनपुरिया सम्वत 2071-74 खाता नं. 51, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र छीतरलाल, असल वसीयतनामा दिनांक 18.08.2008 पेश की गयी।

अभिभाषक आम पक्षकारान द्वारा न्याया. में उप. होकर राजीनामा पेश किया गया कि वादीगण व प्रार्थी वादी गण 1 व 2 के मध्य आपस में राजीनामा हो चुका है छीतरलाल पुत्र गोपीलाल के खाते में ग्राम चेनपुरिया तह. बारां की अराजी ख.नं. 331 रकबा 4.84 हे. ख.नं. 343 रकबा 0.24 हे. कुल 2 किता रकबा 5.08 हे. खाता नं. 58 की ख.नं. 140 रकबा 3.47 हे. भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है छीतरलाल के द्वारा अपने जीवनकाल में एक रजि. वसीयत उनके पोतों के नाम कर दी थी उक्त भूमि उनकी स्वअर्जित थी रजि. वसीयत दिनांक 18-8-2008 की वसीयत में वर्णित ख.नं. 331 रकबा 4.84 हे. में से 4.27 हे. भूमि मंगलाल के पुत्र लेखराज, मुकेश, अनिल को दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है तथा छोटूलाल के पुत्र रोहित, जितेन्द्र को 331 का शेष रकबा 0.57 हे० एवं ख.नं. 140 रकबा 3.47 हे., ख.नं. 443 रकबा 0.24 हे. दिये जाने में एक प्रार्थी वादी गण को कोई आपत्ति नहीं है। पक्षकारान द्वारा वसीयत के मुताबिक राजीनामा स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अभिभाषक आम पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली एवं रिकार्ड तथा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम चेनपुरिया सम्वत 2071-74 खाता नं० 52 में छीतरलाल पुत्र गोपीलाल [illegible] का नाम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी ग्राम चे[illegible] 2071-74 खाता नं. 51 में छीतरलाल पुत्र गोपीलाल जाति माली [illegible] राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार छीतरलाल पुत्र गोपीलाल की मृत्यु दिनांक

लगातार-4

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:38:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

08-12-2008 को पेश जाहिर होता है प्रस्तुत वसीयतनामा दिनांक 18-8-2008 के अनुसार छीतरलाल पुत्र गोपीलाल जाति माली निवासी भैरुपुरिया द्वारा वादीगण के नाम वसीयत किया जाना पाया जाता है वादी एवं प्रतिवादीगण उक्त वसीयत के आधार पर राजीनामा उक्त कर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहते है वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम भैरुपुरिया तह. बारां की आराजी ख.नं. 331 रकबा 4.84 हे. में से 4.27 हे. प्रति वादी क्र. 1 ता 3 को तथा ख.नं. 331 का शेष रकबा 0.57 हे., ख.नं. 140 रकबा 3.47 हे. ख.नं. 443 रकबा 0.24 हे. कुल 4.28 हे. प्रतिवादी क्र. 4,5 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(दिव्यांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
बारां
उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:38:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

...य उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

डिक्री

...द संख्या 130/21	धारा अंतर्गत 88, 89, 91, 53 RTA	निर्णय दिनांक 20-7-22
समक्ष - श्री दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री नरेन्द्र कुमार तोषनी	अभिभाषक प्रतिवादी श्री दिनेश शर्मा	

वाद शीर्षक

1. लेखराज पुत्र भैरूलाल 2. मुकेश उर्फ कन्हाइलाल पुत्र भैरूलाल
3. अनिल पुत्र भैरूलाल 4. रोहित पुत्र छोटूलाल
5. जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र छोटूलाल जाति माली नि० चैनपुरिया तह० बारां

बनाम

1. छोटूलाल पुत्र छीतरलाल जाति माली निवासी चैनपुरिया तह. बारां
2. प्रेमबाई पत्नी बलराम पुत्री छीतरलाल जाति माली नि. चैनपुरिया हाल मुकाम सोमाजपुरा तह० किशनगंज जिला बारां
3. द्रोपतीबाई पत्नी मुरारीलाल पुत्र छीतरलाल जाति माली निवासी चैनपुरिया तह. बारां
4. राज० सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादी गण का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके मौजा चैनपुरिया तह. बारां की आराजी ख. नं. 331 रकबा 4.84 हे. में से 4.27 हे. पर वादी क्र. 1 ता 3 का तथा ख.नं. 331 का शेष रकबा 0.57 हे., ख.नं. 140 रकबा 3.47 हे०, ख.नं. 443 रकबा 0.24 हे. कुल 4.28 हे० पर वादी क्र 4,5 को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 20-7-22 को निर्गत किया गया।

बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:38:12 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		
7	फीस कमिश्नर		

Scanned with CamScanner